प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 21 सितम्बर,2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी करन सिंह पुत्र श्री हरिकिशन, निवासी जनपद-अमरोहा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 23-02-2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी करन सिंह पुत्र श्री हरिकिशन, जो ग्राम-सैलपुरा, थाना-बछरायूँ, जनपद-अमरोहा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.02.2015 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुरारी नामक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-165/2015, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) द्वितीय, अमरोहा के दण्डादेश दिनांक-27.07.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.10.2025 तक अपरिहार 08 वर्ष, 03 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 02 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, अमरोहा द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी एक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो जेल से समयपूर्व रिहा होकर पुनः अपराध किये जाने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के विपक्षीगण से रंजिश है जिस कारण किसी नी अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा एवं बन्दी की आम छवि ठीक नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा पुलिस अधीक्षक, अमरोहा की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 22.10.2025 तक अपरिहार 08 वर्ष, 03 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 02 माह, 08 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध एवं प्रकृति (01 व्यक्ति का अपहरण कर हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक / जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विद्यारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी करन सिंह (बन्दी संख्या-48952) पुत्र श्री हरिकिशन, निवासी जनपद-अमरोहा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1208/2026/715(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।